अभिषेक प्रिंटर्स,डूंगला-9413403527

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/8/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस को सुना गया। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया गया कि मौजा डीडरा पटवार मण्डल डीडरा के खाता संख्या 160 में वर्णित आराजी नम्बर 1261, 1268, 1272, 1273 1274, 1276, 1277, 1442, 1443 किता आराजी -9 कुल रकबा 2.9168 है. भूमि प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण। विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी की है जिसका विधिक बंटवाड़ा नहीं हुआ है। इसमें प्रार्थी का 1/8 हक हिस्सा बनता है। इसी प्रकार से प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी नम्बर 356 खाता संख्या 161 में प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सा बनता है। उक्त दोनों खातों की आराजियात का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी प्रकार का निर्माण संरचना बेचान नहीं करने हेतु विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। इस पर पत्रावली का एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया, परीक्षणोपरान्त पाया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. का स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थना पत्र के चरण सं. 2(अ) (ब) में वर्णित [illegible] मूल वाद के निस्तारण तक [illegible] किसी प्रकार का [illegible] रचना आदि नहीं करें मौका एवं राजस्व [illegible]र्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

→ P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.09.10 17:14:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं करें। न किसी से करावे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) .../24 उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.09.10 17:14:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner